भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. *461
03 अप्रैल, 2025 को उत्तर देने के लिए

नकली खाद्य पदार्थों का उत्पादन/बिक्री

***461. श्रीमती मालविका देवी:**

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए/उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है कि खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए उद्योगों द्वारा सब्जियों को जैविक तरीके से उगाए जाने को प्रोत्साहित किया जाए और उसका उपयोग किया जाए;

(ख) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए/उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है कि प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों में प्रयुक्त चीनी की वास्तविक मात्रा और उत्पाद विशेष में मौजूद चीनी के प्रकार का भी उल्लेख हो;

(ग) सरकार द्वारा ऐसी कंपनियों के विरुद्ध उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है जो बड़ी कंपनियों द्वारा बनाए गए वास्तविक उत्पादों से मिलते-जुलते नकली उत्पाद बना रही हैं और उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे गांवों में बेच रही हैं; और

(घ) सरकार द्वारा विगत वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान इस संबंध में की गई दंडात्मक कार्रवाई का ब्यौरा क्या है और ऐसी कितनी कंपनियों को दंडित किया गया है?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री
(श्री चिराग पासवान)

(क) से (घ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*****

दिनांक 03 अप्रैल, 2025 को उत्तर हेतु "नकली खाद्य पदार्थों का उत्पादन/बिक्री" के संबंध में लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *461 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क): सरकार सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों (पूर्वोत्तर राज्यों को छोड़कर) में परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) के माध्यम से जैविक खेती और सब्जियों सहित सभी कृषि और बागवानी फसलों को बढ़ावा दे रही है, जबकि पूर्वोत्तर राज्यों के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र हेतु मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट (एमओवीसीडीएनईआर) योजना लागू की जा रही है। दोनों योजनाएं जैविक खेती में संलग्न किसानों को शुरू से अंत तक अर्थात् उत्पादन से लेकर फसलोत्तर प्रबंधन प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण तक सहायता पर बल देती हैं। पीकेवीवाई और एमओवीसीडीएनईआर योजना का मुख्य फोकस प्राकृतिक संसाधन आधारित एकीकृत और जलवायु अनुकूल संधारणीय खेती प्रणालियों को बढ़ावा देना है जो मिट्टी की उर्वरता, प्राकृतिक संसाधन संरक्षण, खेत पर पोषक तत्वों के पुनर्चक्रण को बनाए रखना और बढ़ाना सुनिश्चित करती हैं और बाहरी इनपुट पर किसानों की निर्भरता को कम करती हैं।

जैविक उत्पादों के विपणन को बढ़ावा देने के लिए, जैविक उत्पादों के गुणवत्ता नियंत्रण को सुनिश्चित करने के लिए दो प्रकार की जैविक प्रमाणन प्रणालियाँ विकसित की गई हैं, जो नीचे दी गई हैं:

(i) निर्यात बाजार के विकास के लिए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (एनपीओपी) योजना के अंतर्गत मान्यता प्राप्त प्रमाणन एजेंसी द्वारा तृतीय पक्ष प्रमाणन। एनपीओपी प्रमाणन योजना के अंतर्गत जैविक उत्पादों के लिए उत्पादन, प्रसंस्करण, व्यापार और निर्यात आवश्यकताओं जैसे सभी चरणों में उत्पादन और संचालन गतिविधियों को कवर किया जाता है।

(ii) कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत भागीदारी गारंटी प्रणाली (पीजीएस-इंडिया) जिसमें हितधारक (किसान/उत्पादक सहित) एक-दूसरे की उत्पादन प्रथाओं का आकलन, निरीक्षण और सत्यापन करके पीजीएस-इंडिया प्रमाणन के संचालन के बारे में निर्णय लेने में शामिल होते हैं। पीजीएस-इंडिया प्रमाणन का उद्देश्य घरेलू बाजार की मांग को पूरा करना है।

इसके अलावा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के प्रशासन के तहत एक सांविधिक निकाय, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने जैविक खाद्य पदार्थों के निर्माण, पैकिंग, बिक्री, बिक्री के लिए पेशकश, विपणन या अन्यथा वितरण या आयात के संबंध में खाद्य सुरक्षा एवं मानक (जैविक खाद्य पदार्थ) विनियम, 2017 को अधिसूचित किया है। इस विनियम के अनुसार, 'जैविक खाद्य' के रूप में बिक्री के लिए पेश किए जाने वाले सभी खाद्य पदार्थों को राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (एनपीओपी) या भारत के लिए भागीदारी गारंटी प्रणाली (पीजीएस-भारत) के प्रावधानों का पालन करना होगा।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (पीएलआईएसएफपीआई) में यह निर्दिष्ट किया गया है कि योजना के अंतर्गत कवरेज के लिए पात्र खाद्य उत्पादों की प्राथमिक प्रसंस्करण सहित संपूर्ण विनिर्माण प्रक्रिया भारत में ही होनी चाहिए, जिसमें एडिटिव्स, फ्लेवर और खाद्य तेल अपवाद में है । इस दृष्टिकोण का उद्देश्य विनिर्माण प्रक्रिया में घरेलू रूप से उगाए गए कृषि उत्पादों की खरीद द्वारा किसानों को लाभान्वित करना है, जिससे उनकी आय में वृद्धि होगी। योजना के श्रेणी II घटक में फ्री रेंज - अंडे, पोल्ट्री, मांस और अंडा उत्पादों सहित अभिनव /

जैविक उत्पाद शामिल हैं। श्रेणी II के तहत जैविक उत्पादों के 16 प्रस्तावों को पीएलआईएसएफपीआई के तहत मंजूरी दी गई है और 4.24 करोड़ रुपये का प्रोत्साहन वितरित किया गया है।

(ख) से (घ): खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 और उसके तहत बनाए गए नियम और विनियम, विभिन्न खाद्य पदार्थों के लिए गुणवत्ता और सुरक्षा मानक निर्धारित करते हैं। खाद्य सुरक्षा, मिलावट, लेबलिंग में उल्लंघन, गुणवत्ता नियंत्रण, निरीक्षण और खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006, नियम और विनियम के उल्लंघन के लिए दंड से संबंधित मुद्दों में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) द्वारा कार्य किया जाता है। इन मानकों का कार्यान्वयन और प्रवर्तन एफएसएसएआई और राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारों के अधीन है।

एफएसएसएआई ने "खाद्य सुरक्षा और मानक (लेबलिंग और प्रदर्शन) विनियम, 2020" को अधिसूचित किया है और इस विनियमन में नमक, चीनी और वसा के संबंध में लेबल पर पोषण संबंधी जानकारी का उल्लेख करना अनिवार्य किया गया है। यह शुद्धता और मार्कर यौगिक के वजन प्रतिशत के साथ स्वीटनर के नाम की अनिवार्य घोषणा भी अनिवार्य करता है। इसके अलावा, एफएसएसएआई ने खाद्य सुरक्षा और मानक (लेबलिंग और प्रदर्शन) संशोधन विनियम, 2025 का मसौदा प्रकाशित किया है जो नमक, चीनी और वसा के संबंध में लेबल पर पोषण संबंधी जानकारी का उल्लेख बोल्ड अक्षरों में और लेबल पर अपेक्षाकृत बढ़े हुए फ़ॉन्ट आकार में करना अनिवार्य करता है।

एफएसएसएआई अपने क्षेत्रीय कार्यालयों और राज्य खाद्य सुरक्षा विभागों के माध्यम से शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पूरे वर्ष खाद्य उत्पादों की नियमित निगरानी, मॉनीटरिंग, निरीक्षण और यादच्छिक नमूनाकरण करता है।

यदि कोई गैर अनुरूपता पाई जाती है, तो एफएसएस अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों के अनुसार उपाय किए जाते हैं। अध्याय IX (अपराध और दंड) धारा 48-67 में खाद्य पदार्थों के उत्पादन, बिक्री, भंडारण आदि, जो एफएसएस अधिनियम, 2006, उसके तहत नियमों और विनियमों के उल्लंघन में है, के लिए दंड का वर्णन किया गया है । दंडात्मक कार्रवाई में असुरक्षित भोजन के मामलों में दंड और आपराधिक मुकदमा चलाना शामिल है।

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, पिछले दो वर्षों के दौरान विश्लेषण किए गए नमूनों तथा लगाया गया दंड और दोषसिद्धि सहित की गई कार्रवाई का विवरण नीचे दिया गया है:

वर्ष	नमूनों की संख्या विश्लेषण	गैर अनुरूपता वाले नमूनों की संख्या	अपालन वाले नमूने			दीवानी मामले		आपराधिक मामले	
			असुरक्षित	निम्नस्तरीय	लेबलिंग दोष/ भ्रामक/विविध	दोषसिद्धि की संख्या	वसूला गया जुर्माना (करोड़ रुपए में)	दोषसिद्धि की संख्या	वसूला गया जुर्माना (करोड़ रुपए में)
2022-23	177511	44626	6579	21917	16130	28464	33.23	1188	2.75
2023-24	170513	33808	6782	22603	4423	29586	74.12	1161	2.67

*****